



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 888) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2024

एस० ओ० 446 दिनांक 4 सितम्बर 2024—बिहार सरकार, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 243, दिनांक 20 सितंबर, 2018 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 868, दिनांक 20 सितंबर, 2018, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “आधे प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “0.25 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-15) 3861)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 सितम्बर 2024

एस० ओ० 446 दिनांक 4 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-15) 3861)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 4th September 2024

S.O. 446 Dated 4 September 2024-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 243, dated the 20th September, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 868, dated the 20th September, 2018, namely:-

In the said notification, for the words "half per cent.", the figure and word "0.25 per cent." shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th July, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 3861)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 888-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>